अति महत्वपूर्ण
संख्या-1/2018/1269/60-3-2018-20(सा0)/16टीसी

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. सचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. सुश्री ऐश्वर्या भाटी,
अतिरिक्त महाधिवक्ता,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

4. सुश्री गरिमा प्रसाद,
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2018

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-659/2007 इनवायरमेन्ट एण्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के क्रम में पुष्प अवशिष्ट परियोजना सहित विभागीय योजनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संलग्न पत्र संख्या-SW-47/10/2015-swadhar दिनांक 22.062018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-659/2007 इनवायरमेन्ट एण्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018/02.05.2018 में पारित आदेशों के अनुक्रम में प्रदेश में स्थित मंदिर बाहुल्य शहरों के लिये फ्लोरल ऑफरिंग्स की कार्य योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु परीक्षण कर आख्या एवं निराश्रित महिलाओं के उद्धार के लिये राज्य द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में समेकित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे कि एक सुटेबल इम्प्लीमेन्टेबल एण्ड मॉडल स्कीम विकसित किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा सके।

2. उक्त के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फ्लोरल ऑफरिंग्स की कार्य योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में अभी वृन्दावन क्रियान्वित की जा रही है, उक्त योजना के लाभकारी सिद्ध होने पर इसे वाराणसी एवं अन्य मन्दिर बाहुल्य शहरों में भी क्रियान्वित किये जाने पर विचार किया जायेगा। वर्तमान में एफएफडीसी द्वारा वाराणसी में एवं सीमैप द्वारा मिर्जापुर में योजना को क्रियान्वित करने की सम्भावनाओं पर अध्ययन किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त, अपेक्षानुसार विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं के उद्धार हेतु संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में आख्या संलग्न कर प्रेषित है, जिसमें पुष्प अवशिष्ट परियोजना एवं विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में समेकित सूचना तथा वृन्दावन के आश्रय सदनों की मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में आख्या भी सम्मिलित है।

कृपया उपरोक्तानुसार विभागीय आख्या/सूचना से मा0 उच्चतम न्यायालय को प्रति-शपथपत्र के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1269 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक सहित प्रेषितः-

1. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

निराश्रित महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

1-पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायता अनुदानः-

उक्त योजनान्तर्गत ऐसी निराश्रित महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी है और जिनकी वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू0-02.00 लाख तक हो, को रू0-500/- प्रतिमाह की दर से चार तिमाही किश्तों में पीएफएमएस के माध्यम से पेन्शन का भुगतान किया जाता है।

2-पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरूस्कारः-

योजना के अन्तर्गत ऐसी निराश्रित महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो, से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति के पुरस्कृत किये जाने हेतु रू0-11,000/- का पुरस्कार दिया जाता है।

3-पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः-

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेन्शन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0-11,000/- सहायता अनुदान दिया जाता है।

महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित योजनायें-

1. वृद्व महिला आश्रम

प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालय-लखनऊ, कानपुर, झॉसी, वस्ती, फैजाबाद, आगरा, गोण्डा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बनारस, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, चित्रकुट, सहारनपुर, इलाहाबाद एवं आजमगढ में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

100 वृद्व महिलाओं की क्षमता के एक-एक कुल 17 वृद्व महिला आश्रमों का संचालन उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा किया जाना है। वर्तमान में 03 जनपदों यथा-इलाहाबाद, फैजाबाद एवं मिर्जापुर में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्व महिला आश्रम संचालित किये जा रहे है। इन तीनों जनपदों के आश्रमों में वर्तमान में 96 वृद्व महिलायें निवासरत हैं तथा शेष 14 जनपदों में तथा जनपद फतेहपुर एवं अलीगढ मण्डल को समाहित करते हुए कुल 16 जनपदों में संचालन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए चयन कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। उक्त के अतिरिक्त 06 अन्य जनपदों में वृद्ध महिला आश्रमों का निगम द्वारा संचालन हेतु निर्देश दिये गये हैं। इन जनपदों में आश्रम संचालन हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। वृद्व महिला आश्रमों में भोजन, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वस्त्र, पाकेट मनी आदि सुविधाएॅ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

2. स्वधार आश्रय सदन

वृन्दावन, मथुरा में निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वाधार योजना अन्तर्गत 03 आश्रय सदनों को संचालित किया जा रहा है जिसमें वर्तमान में 219 निराश्रित महिलाएॅ निवासरत हैं। इन आश्रय सदनों में आवासीय सुविधा सहित चिकित्सा सुविधा, भोजन, मनोरंजन सहित समस्त सुविधाएॅ निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

3. मीरा सहभागिनी योजना

राज्य सरकार की मीरा सहभागिनी योजना अन्तर्गत वृन्दावन, मथुरा में 02 आश्रय सदनों का संचालन किया जा रहा है। इन 02 आश्रय सदनों में वर्तमान में 116 निराश्रित महिलायें निवासरत हैं जिसमें आवासीय सुविधा सहित चिकित्सा सुविधा, भोजन, मनोरंजन सहित समस्त सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

4. स्वाधार आश्रय सदनों का रखरखाव/मरम्मत

स्वाधार आश्रय सदन में मरम्मत का कार्य 2015 में कराया गया था किन्तु मथुरा में खारा पानी होने के कारण आश्रय सदनों की दीवालो का प्लास्टर कहीं-कही उखड गया है जिसके लिए सी0एस0आर0 फण्ड से सदन में टाइल्स लगाये जाने हेतु मेसर्स मारया फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0 से अनुरोध किया गया है। इस हेतु मेसर्स मारया फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा वर्षा ऋतु के पश्चात कार्य कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित लीलाकुंज एवं रास विहारी आश्रय सदन के भवन स्वामी की अपेक्षानुसार के क्रम में भवन स्वामी का किराया बढाया जा चुका है जिसके क्रम में भवन स्वामी द्वारा प्रथम तल पर मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा अन्य कार्य कराये जा रहे हैं।

5. पुष्प अवशिष्ट परियोजना

मथुरा के राजकीय सदनों में निवासित निराश्रित माताओं के आर्थिक उन्नयन हेतु पुष्प अवशिष्ट (फलोरल वेस्ट) से इत्र, धूपबत्ती, अगरबत्ती, गुलाब जल, गुलाल आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रारम्भ करा दिया गया है जिसमें सरस एवं सुगन्ध विकास केन्द्र (एफ0एफ0डी0सी0) कन्नौज का तकनीकी सहयोग लिया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि जनपद मथुरा की भॉति अन्य मन्दिर बाहुल्य शहरों जैसे वाराणसी एवं मिर्जापुर, में पुष्प अवशिष्ट परियोजना को विस्तारित किया जाये। इस क्रम में वाराणसी में एफ0एफ0डी0सी0 तथा मिर्जापुर में सीमैप द्वारा प्रोजेक्ट लगाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि मिर्जापुर एवं फैजाबाद के जिलाधिकारियों से प्रकरण में एक समिति को गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो स्थानीय मन्दिरों में एकत्र होने वाले पुष्पों की मात्रा एवं वहॉ निवासित निराश्रित महिलाओं की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध करायें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।